पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
प्रेस–विज्ञप्ति
विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17–01–2023

दिनांक 16/17–01–2023 को रात्रि थाना कैण्ट 01, थाना चिनहट 01, थाना चौक 01, थाना हुसैनगंज 01, थाना मड़ियांव 01, थाना मोहनलालगंज 02, थाना ठाकुरगंज 01, थाना वजीरगंज 01, थाना विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना मोहनलालगंज–दिनांक 16.01.2023 को एस0आई0 श्री राकेश कुमार यादव थाना मोहनलालगंज द्वारा दौराने गस्त मय महिला हमराही फोर्स के अभियुक्ता 01–रामेश्वरी पत्नी स्व0 सुशील रैदास निवासिनी केशरीखेड़ा मजरा सिसेण्डी थाना मोहनलालगंज लखनऊ को वैथल स्कूल के पास ग्राम केशरीखेड़ा थाना मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना सरोजनीनगर–दिनांक 16.01.2023 को एस0आई0 श्री अनीश कुमार सिंह थाना सरोजनीनगर द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01. हिमांशु सिंह पुत्र श्री सुधीर सिंह निवासी रुपखेडा थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ 02. अमित सिंह पुत्र श्री धर्मपाल सिंह निवासी रुपखेडा थाना सरोजनीनगर लखनऊ 03. हिमेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 मुन्ना सिंह निवासी रुपखेडा थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ 04. श्यामलाल पुत्र श्रीपाल निवासी रुपखेडा थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ को आपस में ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान रूपखेड़ा गांव के बाहर ट्यूबेल के पास थाना सरोजनीनगर से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते, मालफड़ में 1150/–रूपये व जामातलाशी में 1020/–रूपये नगद बरामद कर थाना सरोजनीनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना मलिहाबाद–दिनांक 17.01.2023 को थाना मलिहाबाद द्वारा बताया गया कि वादी श्री बुद्धु पुत्र स्व0 दिना निवासी–ग्राम सरावां थाना मलिहाबाद ने थाना मलिहाबाद पर सूचना दिया कि दिनांक 16.01.2023 को समय करीब 07.00 बजे सांय को वादी का पुत्र आयुष उम्र करीब 16 वर्ष घर से काम करने के लिए पैदल जा रहा था कि रास्ते में आम्रपाली के पास एक अज्ञात वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वादी के पुत्र आयुष उपरोक्त को टक्कर मार दिया, जिससे वादी का पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए सीएचसी मलिहाबाद ले जाया गया, जहां से इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के लिए ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में ही वादी के पुत्र आयुष की मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0 007/2023 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**